# Bihar board class 8th civics notes chapter 5 न्यायपालिका

**पाठ का सारांश**-आपसी विवाद-झगड़े का निपटारा बड़े-बुजुर्ग करते हैं या फिर लोग पंचायत के पास जाते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ कानून का शासन चलता है जो सभी लोगों पर एक समान रूप से ला होता है। हमारे देश में कानून के अनुसार अलग-अलग तरह के विवादों का निपटारा करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें कई प्रकार की अदालतें हैं। लोग न्याय पाने के लिए इन अदालतों में जाते हैं

**न्याय की समझः–** न्याय की दृष्टि से यह तय करना आसान नहीं होता कि कौन गलत है और कौन सही। इसके लिए न्यायपालिका में मुकदमों को सुलझाने की एक लम्बी प्रक्रिया होती है। पक्ष-विपक्ष के वकील बहस करते हैं और अपने-अपने मामले के पक्ष में दलीलें पेश करते हैं जिन्हें न्यायाधीश गौर से सुनते हैं और कानूनों के परिप्रेक्ष्य में अपना फैसला सुनाते हैं।

**न्यायपालिका की भूमिका**:—सरकार तीन अंगों की सहायता से कार्य करती है। ये तीन अंग हैं—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका । विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका (यानी अफसरों की श्रेणी) उस कानून को लागू करती है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा होता है, वैसे ही जब कभी केन्द्र और राज्य सरकार के बीच झगड़ा या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो इसे सुलझाने के लिए किसी निकाय (संस्था) की जरूरत पड़ती है जो बिना किसी पक्षपात या दबाव में आकर अपना कार्य कर सके। इसी न्यायिक व्यवस्था को **न्यायपालिका** कहा जाता है।

न्यायपालिका का कार्य नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना है। न्यायपालिका न्याय करती है और विवादों को संविधान में उल्लेखनीय कानून के अन्तर्गत सुलझाती है। अगर कभी विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका के पास अधिकार होता है कि वह ऐसे कानून को रद्द कर दें। दरअसल, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है।

**स्वतंत्र न्यायपालिका**–न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। हर हाल में न्यायपूर्ण फैसला होने के लिए यह जरूरी है कि न्यायाधीश अपना फैसला किसी भी पक्ष के दबाव या किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होकर सुना सकें। सिद्धांत रूप में कोई भी ताकतवर मंत्री या सरकार किसी न्यायालय के न्यायाधीश पर दबाव नहीं डाल सकते । हमारे देश को न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्र रखा गया है।

**न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए दो तरीके अपनाये गये हैं-**

1. शक्तियों का बँटवारा-विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की शाखायें न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती । न तो कोई अदालत सरकार के अधीन होती है और न ही सरकार का प्रतिनिधित्व करती है।
2. सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। न्याय के उद्देश्य से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है। पर, कई बार ताकतवर नेताओं और धनी लोगों के प्रभाव में आकर कुछ न्यायाधीश गलत फैसला दे देते हैं। इससे न्याय को धक्का लगता है और न्यायपालिका पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है। भारत में न्याय प्रक्रिया में सुधार की कई कोशिशें की जा रही हैं ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता व लोगों का उस पर विश्वास बना रहे।

भारत में न्यायपालिका की संरचना-भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है जो तीन स्तरों पर कार्य करती है। सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। जिला न्यायालय होता है जिला मुख्यालय में जहाँ जिला न्यायाधीश होते हैं। राज्य के हर जिले में यह


https://www.evidyarthi.in/

व्यवस्था होती है।
किसी राज्य की राजधानी में (जैसे बिहार राज्य के पटना में) उच्च न्यायालय होता है। सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट)। यह हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है।
सर्वोच्च न्यायालय देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ऊपरी अदालत द्वारा लिया गया निर्णय नीचे की सारी अदालतों को मानना होता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की तमाम अदालतों को मानना होता है। नीचे की अदालत के फैसले से असंतुष्ट होने पर वादी के लिए ऊपर के अदालत में अपील करने का भी प्रावधान है।

7. न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए क्या-क्या किया गया?
उत्तर-न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से बिल्कुल ही स्वतंत्र रखा गया । सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता।
8. न्यायपालिका की स्वतंत्रता में किस-किस तरह की बाधाएँ आती हैं ?
उत्तर-कई बार यह देखने में आता है कि कुछ ताकतवर लोग अपने पैसे और पहुँच का इस्तेमाल करके न्यायपालिका की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ न्यायाधीश भी पैसे व तरक्की की लालच में फंसकर गलत फैसले देते हैं। इससे लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता । इस तरह के गलत कामों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को गहरा धक्का लगता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में इस प्रकार की घटनाएँ बड़ी बाधाएँ हैं।


https://www.evidyarthi.in/